फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 07/2018 बाजदफरी 2018/00028

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	04/4/18	वकील प्रार्थी उप० प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 08/5/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	08/5/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 15/5/18 को पेश हो। जवाब व कालतनामा पेश।	
	15/5/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम तिगरिया में पेश हुई। प्रार्थी बावजूद सूचना व तामील के अनु० हो बार-बार आवाजे लगाई गई किन्तु प्रार्थी की ओर से कोई भी उप० नहीं हुआ। वकील अप्रार्थी उप० । प्रकरण वकील अप्रार्थी को सुना गया तथा प्रार्थना व जवाब प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज किया जाकर खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज निम्बर से कम हो तथा [illegible] हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूं, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम तिगरिया)
पीठासीन अधिकारीः–सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :– 07/2018

उनवान

मदनलाल पुत्र स्व0 श्री भूरा शर्मा, आयु 70 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तिगरिया, वाया ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...प्रार्थी/वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

(वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

आवेदन बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांकः–15.05.2018

प्रार्थी/वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी/वादी ग्रामीण परिवेश का 70 वर्षीय खेती पेशा वरिष्ठ नागरिक है जिसको उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि प्रार्थी को प्रत्येक पेशी पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और जब भी मुझे आवश्यकता होगी तो मैं खुद तुम्हें सूचना कर बुला लूंगा। अपने अधिवक्ता द्वारा दिये गये इस आश्वासन के बाद प्रार्थी पूर्णतया आश्वस्त हो गया और उसने प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना बंद कर दिया। दिनांक 29.05.2009 को प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद की पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से उक्त वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया जिसका प्रार्थी को पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। उक्त वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी ने अपने नये अधिवक्ता को दिखाई जिन्होने आदेशिकाओं का अध्ययन कर प्रार्थी को बताया कि प्रार्थी का वाद प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की वजह से अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2009 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 28.02.2018 को पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 07.03.2018 को नकल प्राप्त करने के उपरान्त उक्त आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थी जानकारी के दिन से अविलम्ब यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जो जानकारी के दिन से पूर्णतया अवधि अन्तर्गत है तथापि विधिक बाध्यता के अनुस[illegible] से आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के स[illegible] प्रार्थी अपने प्रकरण की पैरवी पूरी मुस्तैदी से करता चला आ रहा है [illegible]09 को प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:45:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अनुपस्थिति उपरोक्त वर्णित कारणों से मजबूरी एवं अतिविश्वास की वजह से हुई है अन्यथा प्रार्थी की अन्य कोई बुरी भावना या बदनियति नहीं रही है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 29.05.2009 को पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे व वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि पक्षकार को न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपने मुकदमें में प्रत्येक पेशी पर पेश होना आवश्यक है। न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण विधिसम्मत तरीके से अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही रही है। प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़न्त हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को जानबूझकर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवाया गया था तथा न्यायालय का समय खराब करने हेतु उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खरिज फरमाया जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम तिगरिया में पेश हुई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 का अवलोकन किया। प्रकरण 29.05.2009 को खारिज होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2018 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संलग्न धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वाद खारिज से प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति तक के समय को condone किये जाने के अंकित तथ्य से स्पष्ट नहीं होता कि वादी को प्रकरण की कार्यवाही का ज्ञान नहीं हो। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश करने का न्यायोचित कारण भी प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम तिगरिया में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner